

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जनपद- नैनीताल

पत्रांक संख्या- 17/Ay/2025-26

दिनांक- 10/05/2025

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- विमला देवी
02. पिता/पति का नाम- श्री मौलमा लाल
03. पदनाम- कार्मिक अधिकारी
04. नियुक्ति का प्रकार-
05. वर्तमान तैनाती का स्थान- 210 आर्यु चिकित्सक - नौकुचिप्रताप जिला - नैनीताल
06. वर्तमान तैनाती की तिथि-
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	210 आर्यु चिकित्सक - नैनीताल	7 वर्ष 30/12/09 से जुलाई 2017 तक	सुगम	
2.	210 आर्यु चिकित्सक - नौकुचिप्रताप	2017 से आज तक	सुगम	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
☒ अनुरोध
☐ दुर्गम से सुगम
☐ स्थानान्तरण से छूट
☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ गंभीर रोग
☐ मानसिक
☐ पुत्र/पुत्री
☐ उत्तराखण्ड
☐ विधुर/विधवा/
 ग्रस्त/विकलांग
 रूप से
 की
 सरकार में
 कार्यरत
 पति-पत्नी
 तलाकशुदा/वरिष्ठ
 कार्मिक
☐ दुर्गम से दुर्गम
☐ सुगम से
 दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	मध्यावत रश्मि का अनुरोध किया गया	सुगम
2	—	
3	—	
4	—	
5	—	
6	—	
7	—	
8	—	
9	—	
10	—	

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या- 06

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाइट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

① माननीय उच्च न्यायालय
उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत है आदेश की
छाया प्रति -।

हस्ताक्षर- *Shilpa*
नाम- विमला देवी
पदनाम- कार्मिक अधिकारी

- ② परितम्भता प्रमाण पत्र की छाया प्रति
 ③ मध्यावत रश्मि का अनुरोध प्रमाण पत्र
 ④ विकल्प पत्र